कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या–479 /XXV–66 (1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 5 सितम्बर,2013

सेवा में,

सचिव,
महामहिम श्री राज्यपाल
उत्तराखण्ड।

विषयः– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012, जनपद देहरादून की 21–देहरादून कैन्टोन्मेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–368/B-8/ जी.एस.(विविध)/2012 दिनांक 03 मई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून के पत्र संख्या–144/29–36/2009–12 दिनांक 20 अगस्त, 2013 के साथ प्राप्त श्री राजीव गुप्ता को संबोधित उनके पत्र दिनांक 27 मई, 2013 की प्रति एवं तत्कालीन रिटर्निगं आफिसर 21–देहरादून कैन्टोनमेन्ट के पत्र दिनांक 20.10.2012 की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

2– उक्त संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि तत्कालीन रिटर्निगं आफिसर, 21–देहरादून कैन्टोनमेन्ट के उक्त संदर्भित पत्र संख्या–डीएससीएल/अ0नि0/1908 दिनांक 20.10.2012 पर प्रस्तुत उनकी आख्या के क्रम में पत्र संख्या–452/XXV-66(1–5)/2009 दिनांक 08 अगस्त, 2013 (प्रति संलग्न) के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा अपने पत्र संख्या–डीएससीएल/अ0नि0/132 दिनांक 14 अगस्त, 2013 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति उक्त के क्रम में सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पृ0संख्या 479/xxv–66 (1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1–सचिव, मा. उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून को दिनांक 27 अगस्त, 2013 को अपील संख्या–11951 पर सम्पन्न हुई सुनवाई के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– श्री राजीव गुप्ता पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता, निवासी 112–ए, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 2/9/13
रजिस्टर क्रमांक–237 पत्रावली संख्या–

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

विभागीय अपीलीय अधिकारी
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड

संख्या : 144 29–36/2009–12 दिनांक 20 अगस्त 2013

विषय : श्री राजीव गुप्ता पुत्र स्व. श्री भारत भूषण गुप्ता निवासी 112–ए न्यू कनाट प्लेस देहरादून द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपरोक्त विषय आपके पत्र संख्या 451/XXV–66–1(5)/2009 दिनांक 8 अगस्त 2013 के अनुपालन मे निवेदन करना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 302/XXV–66 दिनांक 21 मई 2013 के सम्बन्ध मे सूचना कार्यालय पत्र संख्या 55/29–36 दिनांक 27 मई 2013 के द्वारा श्री राजीव गुप्ता पुत्र स्वं श्री भारत भूषण गुप्ता निवासी 112–ए न्यू कनाट प्लेस देहरादून को उपलब्ध कराई गई थी । जिसकी छाया प्रति महोदया के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून

अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधित प्रपत्र।
कार्यालय जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

संख्या 55/29–36/20011–2012 दिनांक 27 मई 2013

श्री राजीव गुप्ता
पुत्र स्व. श्री भारत भूषण गुप्ता
निवासी 112–ए न्यू कनाट प्लेस देहरादून

विषय– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना के संबंध में।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 302/XXV–66 (1–5)/2008 दिनांक 20 मई 2013 मय संलग्नक अपने पत्र का अवलोकन करें, आपके द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई वांछित सूचना निम्न है।

बिन्दु संख्या 1–सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1003/ दिनांक 29 अगस्त 2012 मयसंलग्नक श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन 2012 के पत्र संख्या 625/11/07 दिनांक 2–3–13 की शिकायत की जांच कार्यालय पत्र संख्या 195/25–40 दिनांक 30 अगस्त 2012 के द्वारा उप जिलाधिकारी सदर से कराई गई थी । उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपने पत्र संख्या 749/जांच–2012 दिनांक 4 सितम्बर 2012 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर से सम्बन्धित है । उक्त सम्बन्धित पत्र कार्यालय पत्र संख्या 711/29–40 दिनांक 9 अक्टूबर 2012 के द्वारा श्री मनमोहन सिंह रावत अधिशासी निदेशक, डोईवाला शुगर मिल जिला देहरादून (तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट) को प्रकरण की जांच हेतु भेजा गया था । तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट द्वारा प्रकरण की जांच आख्या की छाया प्रति संलग्नक कर भेजी जा रही है ।

अपीलीय अधिकारी का पता–
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,देहरादून
संलग्नक–पत्रावली

27/05

लोक सूचना अधिकारी,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

27/05

लोक सूचना अधिकारी,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून

डोईवाला शुगर कम्पनी लि
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला
टिन संख्या– 05001157332, के.वि.क.सं.–डीडी
फोन नं0: 0135-2695109, फैक्स नं0: 0135–

पत्रांकः डीएससीएल/ अ0नि0 / 1908

दिनांकः 20.10.2012

अपर जिला मजिस्ट्रेट वि.रा.
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून।

विषय– विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012, 21 देहरादून कैन्टोमेन्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र सं0–311/29–40(2011–2012) दिनांक–09अक्टूबर,2012 जो श्री राजीव गुप्ता निवासी– 9/13 महन्त क्वाटर्स, ईदगाह, चकराता रोड, देहरादून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार अंभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के प्रस्तुतीकरण समय पढ़कर संविधान की शपथ नहीं ली गई की शिकायत से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी उम्मीदवार शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पृथक से पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते हैं और तत्पश्चात नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते हैं। यह प्रकिया सभी उम्मीदवारों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय करायी गयी है। श्री गुप्ता द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की स्कूटनी के समय भारत निर्वाचन आयोग के मा0 प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में यह शिकायत की गई थी जिस पर गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर शिकायत निराधार पाई गयी और तद्नुसार निस्तारित कर दी गयी थी।

अतः शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि अभ्यर्थियों द्वारा शपथ के प्रारुप पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही हस्ताक्षर कर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे बेबुनियाद एवं निराधार है। शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा पढ़कर हस्ताक्षर किये जाते हैं। उसके पश्चात नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कर जमा किया जाता है उसकी उम्मीदवार को पृथक से प्राप्ति रसीद दी जाती है।

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

ADE
[handwritten notes, signature] 22/7/12

प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी
जिला–निर्वाचन कार्यालय
देहरादून

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(मनमोहन सिंह)
पी0सी0एस0
अधिशासी निदेशक
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर
21 देहरादून कैन्टोमेन्ट

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 452/XXV–66 (1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 8 अगस्त, 2013

सेवा में,

तत्काल–शीर्ष प्राथमिकता

श्री मनमोहन सिंह रावत,
अधिशासी निदेशक
डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, देहरादून
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर, 21–देहरादून कैन्टोन्मेन्ट विधान सभा क्षेत्र)

विषयः– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012, 21–देहरादून कैन्टोन्मेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत अपील की सुनवाई के समय दिनांक 06 अगस्त, 2013 को अपीलकर्ता श्री राजीव गुप्ता, पुत्र स्व. श्री भारत भूषण गुप्ता, निवासी 112–ए, न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून द्वारा अपने प्रत्यावेदन पत्र संख्या–710 दिनांक 24.11.2012 के साथ प्रस्तुत अपर जिला मजिस्ट्रेट, वि.रा. एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को सम्बोधित आपके पत्र संख्या–डीएससीएल/आ0नि0/1908 दिनांक 20.10.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.10.2012 के प्रस्तर–1 में उल्लेख किया गया है कि *"इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी उम्मीदवार शपथ पत्र रिटर्निगं आफिसर के समक्ष पृथक से पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते हैं और तत्पश्चात नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते हैं"* **आपके इस अभिकथन से आपका मन्तव्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अस्तु आप तत्काल इस सम्बन्ध में अपने सुस्पष्ट मन्तव्य से अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार ही अपीलकर्ता को भी अवगत कराया जा सके।**

भवदीय,

(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला (देहरादून)
टिन संख्या– 05001157332, के.वि.क.सं.–डीडी 5141145
फोन नं0: 0135-2695109, **फैक्स नं0:** 0135-2695221
Email- doiwalasugars@gmail.com

पत्रांकः डीएससीएल/अ0नि0 /132 दिनांक–14.08.2013

प्रेषक,

मनमोहन सिंह रावत,
अधिशासी निदेशक,
डोईवाला शुगर कम्पनी लि0,देहरादून
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर,
21–देहरादून कैण्ट वि0स0क्षेत्र)

सेवा में,

अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषयः– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012, देहरादून कैण्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ लिए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–452 दिनांक 08 अगस्त, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या– डीएससीएल/अ0नि0/1908 दिनांक 20.10.2012 में उल्लिखित कतिपय अभिकथन/शब्दों पर मन्तव्य स्पष्ट करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– उपरोक्त संदर्भ में निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012 के सम्पादनार्थ रिटर्निंग आफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–5, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तद् विषयक समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्राविधानों तथा उक्त संदर्भ में निर्वाचन विभाग की ओर से समय–समय पर प्रशिक्षण में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसरण में नियमानुसार अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन–पत्र प्राप्त किए गए। इसी प्रकार रिटर्निंग आफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 के प्रस्तर 20.1 से 20.15 में निहित प्राविधानों और दिशा–निर्देशों के अनुसरण में नामनिर्देशित अभ्यर्थियों से संविधान के अनुच्छेद–173 के अन्तर्गत ईश्वर की शपथ दिलवाई गई/सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करवाया गया। अर्थात मेरे उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.10.2012 में भी मेरा स्पष्ट मन्तव्य यही है कि प्रत्येक नामनिर्देशित अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 के प्रस्तर–20.6 के अनुसार नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही प्रस्तर–20.11 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से संविधान के अनुच्छेद–173 के अन्तर्गत ईश्वर की शपथ दिलवाई गई/सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करवाया गया और तत्पश्चात शपथ/प्रतिज्ञान से संबंधित प्रारूप–प्राप्ति रसीद पर शपथ/प्रतिज्ञान की तिथि और समय अंकित करते हुए प्रारूप को संबंधित अभ्यर्थी के नामनिर्देशन–पत्र के साथ स्टेपल किया गया, और उसकी प्राप्ति नामनिर्देशित अभ्यर्थी को भी उपलब्ध कराई गई।

3– शपथ और प्रतिज्ञान के सम्बन्ध में श्री राजीव गुप्ता, श्री हरबंश कपूर एवं सुश्री नुपुर के नामनिर्देशन पत्र और शपथ/प्रतिज्ञान से संबंधित प्रारूप की फोटो प्रति जिन पर तिथि और समय स्पष्ट अंकित है, सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

14/8/2013
(मनमोहन सिंह रावत)
अधिशासी निदेशक
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर)
21–देहरादून कैण्ट वि0स0क्षेत्र

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 2/9/13
रजिस्टर क्रमांक–237 पत्रावली संख्या–

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

विभागीय अपीलीय अधिकारी
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
उत्तराखण्ड

संख्या : 144 29–36/2009–12 दिनांक 20 अगस्त 2013

विषय : श्री राजीव गुप्ता पुत्र स्व. श्री भारत भूषण गुप्ता निवासी 112–ए न्यू कनाट प्लेस देहरादून द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपरोक्त विषय आपके पत्र संख्या 451/XXV–66–1(5)/2009 दिनांक 8 अगस्त 2013 के अनुपालन मे निवेदन करना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 302/XXV–66 दिनांक 21 मई 2013 के सम्बन्ध मे सूचना कार्यालय पत्र संख्या 55/29–36 दिनांक 27 मई 2013 के द्वारा श्री राजीव गुप्ता पुत्र स्वं श्री भारत भूषण गुप्ता निवासी 112–ए न्यू कनाट प्लेस देहरादून को उपलब्ध कराई गई थी । जिसकी छाया प्रति महोदया के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून

अनुरोधकर्ता को सूचना देने संबंधित प्रपत्र।
कार्यालय जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

संख्या 55 **/29–36/20011–2012** **दिनांक** 27 **मई 2013**

श्री राजीव गुप्ता
पुत्र स्व. श्री भारत भूषण गुप्ता
निवासी 112–ए न्यू कनाट प्लेस देहरादून

विषय– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना के संबंध में।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 302/XXV–66 (1–5)/2008 दिनांक 20 मई 2013 मय संलग्नक अपने पत्र का अवलोकन करें, आपके द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई वांछित सूचना निम्न है।

बिन्दु संख्या 1–सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1003/ दिनांक 29 अगस्त 2012 मयसंलग्नक श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन 2012 के पत्र संख्या 625/11/07 दिनांक 2–3–13 की शिकायत की जांच कार्यालय पत्र संख्या 195/25–40 दिनांक 30 अगस्त 2012 के द्वारा उप जिलाधिकारी सदर से कराई गई थी । उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपने पत्र संख्या 749/जांच–2012 दिनांक 4 सितम्बर 2012 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर से सम्बन्धित है । उक्त सम्बन्धित पत्र कार्यालय पत्र संख्या 711/29–40 दिनांक 9 अक्टूबर 2012 के द्वारा श्री मनमोहन सिंह रावत अधिशासी निदेशक, डोईवाला शुगर मिल जिला देहरादून (तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट) को प्रकरण की जांच हेतु भेजा गया था । तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट द्वारा प्रकरण की जांच आख्या की छाया प्रति संलग्नक कर भेजी जा रही है ।

अपीलीय अधिकारी का पता–
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,देहरादून
संलग्नक-पेपर

27/05

लोक सूचना अधिकारी,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

27/05

लोक सूचना अधिकारी,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून

डोईवाला शुगर कम्पनी लि
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला
टिन संख्या– 05001157332, के.वि.क.सं.–डीडी
फोन नं0: 0135-2695109, फैक्स नं0: 0135-

पत्रांकः डीएससीएल / अ0नि0 / 1908

दिनांक: 20.10.2012

अपर जिला मजिस्ट्रेट वि.रा.
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून।

विषय– विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012, 21 देहरादून कैन्टोमेन्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र सं0–311/29–40(2011–2012) दिनांक–09अक्टूबर,2012 जो श्री राजीव गुप्ता निवासी– 9/13 महन्त क्वाटर्स, ईदगाह, चकराता रोड, देहरादून द्वा संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार अंभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के प्रस्तुतीकरण समय पढ़कर संविधान की शपथ नहीं ली गई की शिकायत से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी उम्मीदवार शपथ पत्र रिटर्नि आफिसर के समक्ष पृथक से पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते हैं और तत्पश्चात नामनिर्देशन प प्रस्तुत करते हैं। यह प्रकिया सभी उम्मीदवारों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय करा गयी है। श्री गुप्ता द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की स्कूटनी के समय भारत निर्वाचन आयोग के म प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में यह शिकायत की गई थी जिस पर गुण–दोष के आधार प परीक्षण कर शिकायत निराधार पाई गयी और तद्नुसार निस्तारित कर दी गयी थी।

अतः शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि अभ्यर्थियों द्वारा शपथ के प्रारुप पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही हस्ताक्षर कर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये गए थे बेबुनियाद एवं निराधार है। शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा पढ़कर हस्ताक्षर किये जाते हैं। उसंके पश्चात नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कर जमा किया जाता है उसकी उम्मीदवार को पृथक से प्राप्ति रसीद दी जाती है।

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

A D E O
प्रमाणित
लोक सूचना अधिकारी
जिला–निर्वाचन कार्यालय
देहरादून

22/7/12

भवदीय,

(मनमोहन सिंह)
पी0सी0एस0
अधिशासी निदेशक
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर
21 देहरादून कैन्टोमेन्ट

कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून

दिनांक 1 अक्टूबर 2012

संख्या 211 /29–40 (2011–2012)

श्री मनमोहन सिंह रावत
अधिशासी निदेशक
डोईवाला शुगर मिल– जिला देहरादून
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट)

विषय : विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 –21 देहरादून कैन्टोमेन्ट मे अभ्यर्थियो के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध मे ।

उपरोक्त विषय कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के पत्र संख्या 749/जांच–2012 दिनांक 4 सितम्बर 2012 की छाया प्रति भेजते हुये अवगत करना है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012–21 देहरादून कैन्टोमेन्ट मे अभ्यर्थियो के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धित शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1003/XXV–62/2011 दिनांक 29 अगस्त 2012 मयसंलग्नक श्री राजीव गुप्ता निवासी 9/13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून के पत्र संख्या 625/11/07 दिनांक 2–3–12 उप जिलाधिकारी सदर को कार्यालय पत्र संख्या 195/25–40 दिनांक 30 अगस्त 2012 के द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपनी आख्या मे तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर श्री रावत से प्रकरण की जांच आख्या हेतु वापस किया गया है । उक्त प्रकरण आपसे सम्बन्धित है प्रकरण के सम्बन्ध मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपनी जांच इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

भवदीय

अपर जिला मजिस्ट्रेट वि.रा.एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि–श्री राजीव गुप्ता निवासी 9/13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट वि.रा.एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर), देहरादून।

संख्या–749 / जॉच –2012 दिनांक 5 सितम्बर 2012

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0एवं0 रा0)/
उपजिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012–21 देहरादून कैन्टोमेन्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 194 /25–40/2012 दिनाक 30 अगस्त 2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के साथ संलग्न श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21–देहरादून कैन्टोमेंन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पत्र दिनाक 2–3–2012 जिसमें विधान सभा निर्वाचन 2012 के दौरान 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट के अभ्यिथियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने का प्रश्न है, के अनुक्रम में अवगत कराना है कि विधान सभा निर्वाचन 2012 में 21 –देहरादून कैन्टोमेन्ट के रिटर्निग आफिसर तत्कालीन उपजिलाधिकारी श्री मनमोहन सिंह थे उन्ही के द्वारा अभ्यिथी श्री राजीव गुप्ता के पत्र पर कार्यवाही /आख्या दिया जाना सम्भव है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सम्बन्ध में तत्कालीन रिटर्निग आफिसर श्री रावत से आख्या हेतु भेजने का कष्ट करें । आपके द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 194 /25–40/2012 दिनाक 30 अगस्त 2012 एवं उसके साथ संलग्न मूलरूप में वापस किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र गुणवन्त)
उप जिलाधिकारी(सदर,/
रिटर्निग आफिसर,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21– देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निवासी 9/13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून को सूचनार्थ।

उप जिलाधिकारी(सदर,/
रिटर्निग आफिसर,

कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

संख्या/ 25/ 25–40 / 2012

दिनांक 30 अगस्त 2012

उप जिलाधिकारी देहरादून
(रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट)
विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012

विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012–21 देहरादून कैन्टोमेन्ट मे अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धि प्रकरण के सम्बन्ध मे ।

उपरोक्त विषय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1003 / XXV–62 / 2011 दिनांक 29 अगस्त 2012 मयसंलग्नक श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निवासी 9 / 13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून के पत्र संख्या 625 / 11 / 07 दिनांक 2–3–2012 की छाया प्रति भेंजते हुये अवगत करना है कि उनके द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2012 के दौरान 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट के अभ्यर्थियो के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने का उल्लेख किया गया है । इस प्रकरण के सम्बन्ध मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवायी करते हुये अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

<u>संलग्नक–येथोपरि</u>

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि.रा.)एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि–1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून महोदया के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित ।

2 श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निवासी 9 / 13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि.रा.)एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 27 अगस्त, 2013

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-11951 / 2013 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 सूचना आयोग के पत्र संख्या 9057/उ0सू0आ0/अपील/2013-14(CIC) दिनांक 06 अगस्त, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री राजीव गुप्ता, निवासी 9/13, महन्त क्वार्टर्स, ईदगाह, चकराता रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.08.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए निर्धारित तिथि पर प्रातः 11.00 बजे मा0 सूचना आयोग में स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त सन्दर्भ में मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29 अप्रैल, 2013 से दिनांक 21 जून, 2013 तक मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस III[rd] में सम्मिलित रहने और तत्पश्चात उत्तराखण्ड राज्य में घटित हुई दैवीय आपदा की घटनाओं के फलस्वरूप आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में व्यस्तता के कारण अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 29-04-2013 पर दिनांक 06 अगस्त, 2013 को सुनवाई की गई, जिसमें अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। अपील के निस्तारण संबंधी आदेश संख्या 451 दिनांक 08 अगस्त, 2013 की प्रति मा0 सूचना आयोग के अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

उक्तानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के सेवा में प्रस्तुत है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 469 / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय अपीलीय अधिकारी का पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 468 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 26 अगस्त, 2013

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– <u>सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या **A(D)-11951 / 2013 के संबंध में।**</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 सूचना आयोग के पत्र संख्या 9057/उ0सू0आ0/अपील/2013-14(CIC) दिनांक 06 अगस्त, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री राजीव गुप्ता, निवासी 9/13, महन्त क्वाटर्स, ईदगाह, चकराता रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.08.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए निर्धारित तिथि पर प्रातः 11.00 बजे मा0 सूचना आयोग में स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त सन्दर्भ में मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि आवेदक के सूचना अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र संख्या 723 के माध्यम से वांछित सूचनायें नियमानुसार आवेदक को उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई, 2013 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून को हस्तान्तरित कर लिया गया था। लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून द्वारा आवेदक को अपने पत्र संख्या 55 दिनांक 27 मई, 2012 के माध्यम से वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्तानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में लोक सूचना अधिकारी की ओर से अनुपालन आख्या मा0 सूचना आयोग की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– /XXV–66 (1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 8 अगस्त, 2013

सेवा में,

श्री राजीव गुप्ता,
पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता,
निवासी 112–ए,
न्यू कनाट प्लेस, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं के संबंध में पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 का संशोधन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी के पत्र संख्या– 302/ XXV-66 (1–5)/2008 दिनांक 21 मई 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के प्रस्तर दो के माध्यम से अवगत कराया गया था कि, ***"आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन संख्या 710/11/07 दिनांक 24/11/2012 को कार्यालय के पत्र संख्या 1003 दिनांक 29 अगस्त, 2013 के माध्यम से जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को हस्तान्तरित करते हुए उक्त की प्रति आपको पृष्ठांकित की गयी थी"।***

2- उपरोक्त सदंर्भ में दिनांक 6 अगस्त 2013 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की सुनवाई के पश्चात सूचना अधिकार से संबंधित आपके आवेदन पत्रों के माध्यम से वांछित सूचनाओं के क्रम में संबंधित पत्रावली और कार्यालय अभिलेखों का सघनता से परीक्षण करने के पश्चात यह परिलक्षित हुआ है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन ***संख्या 710/11/07 दिनांक 24/11/2012*** इस कार्यालय को प्राप्त ही नहीं हुआ है जिस कारण उसका निस्तारण नहीं किया जा सका। सूचना अधिकार संबंधी आपके आवेदन पत्र संख्या 723/11/07 दिनांक 11 मार्च 2013 में आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 का उल्लेख होने के कारण टंकण त्रुटिवश इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 के प्रस्तर दो में इसका उल्लेख किया गया है। यह भी स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा कि इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 के प्रस्तर दो में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1003 दिनांक 29 अगस्त, 2012 के साथ आपके पत्र संख्या 625/11/07 दिनांक 2-03-2012 को नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया गया था, न कि आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 को प्रेषित किया गया। अर्थात पुनः स्पष्ट करना है कि टंकण त्रुटि के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या 302 में आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 का उल्लेख हुआ है।

अतः अनुरोध है कि इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 450/XXV–66 (1–5)/2009, तद्दिनांकित।–

प्रतिलिपि विभागीय अपीलीय अधिकारी महोदया की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 469 /XXV–66(1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 27 अगस्त, 2013

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-11951/2013 के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 सूचना आयोग के पत्र संख्या 9057/उ0सू0आ0/अपील/2013-14(CIC) दिनांक 06 अगस्त, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री राजीव गुप्ता, निवासी 9/13, महन्त क्वाटर्स, ईदगाह, चकराता रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.08.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए निर्धारित तिथि पर प्रातः 11.00 बजे मा0 सूचना आयोग में स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त सन्दर्भ में मा0 सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29 अप्रैल, 2013 से दिनांक 21 जून, 2013 तक मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस IIIrd में सम्मिलित रहने और तत्पश्चात उत्तराखण्ड राज्य में घटित हुई दैवीय आपदा की घटनाओं के फलस्वरूप आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में व्यस्तता के कारण अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 29-04-2013 पर दिनांक 06 अगस्त, 2013 को सुनवाई की गई, जिसमें अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। अपील के निस्तारण संबंधी आदेश संख्या 451 दिनांक 08 अगस्त, 2013 की प्रति मा0 सूचना आयोग के अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

उक्तानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में विभागीय पक्ष मा0 सूचना आयोग के सेवा में प्रस्तुत है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या–469 / XXV–66(1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा0 सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय अपीलीय अधिकारी का पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 502 /XXV–66(1–5)/2013 देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2013

सेवा में,

श्री राजीव गुप्ता
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय जन सहाय दल
निवास–9/13,महन्त क्वाटर्स,ईदगाह
चकराता रोड़ देहरादून।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–746/11/07 दिनांक 09.09.2013 के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वांछित सूचना यथा उद्धत पत्र संख्या–डीएससीएल/अ0नि0/132 दिनांक 14 अगस्त, 2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
O/C अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

राष्ट्रीय जन सहाय दल
प्रधान कार्यालय : 112–ए, न्यू क्नाट प्लेस, देहरादून, 248 001
Email : rjsdal@yahoo.com

पंत्राक संख्या

दिनांक.................................

पत्रांक स0 746/11/07

दिनांक: 09/09/2013

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (उत्तराखण्ड),
उत्तराखण्ड सचिवालय,
सुभाष रोड,
देहरादून।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतू प्रार्थनापत्र।

महोदय,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना उपलब्ध कराने हेतू प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है।

1. आपके द्वारा प्रार्थी को प्रेषित पत्रांक स0 479/XXV-66(1-5)/2009 दिनांक 05 सितम्बर, 2013 मे उद्धत पत्र स0 **"डीएससीएल/अ0नि0/132 दिनांक 14 अगस्त, 2013'** की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे, आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद सहित,

प्रार्थी

राजीव गुप्ता
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
राष्ट्रीय जन सहाय दल,
निवास –
9/13, महन्त क्वाटर्स, ईदगाह,
चकराता रोड, देहरादून।

प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप कराने हेतू प्रार्थनापत्र शुल्क रु0 10/– का स्टाम्प पेपर स0 प्रस्तुत कर रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND   19AA 351811

22 AUG 2013

Annexed in lieu of Fee under
R T I Act as application fee.
By Rajeev Gupta, S/o (L) Sri Bharat
Bhushan Gupta, R/o 9/13, Mahant Qtr. Idgah
Chakrata Road, Dehradun
to
Chief Electoral Officer, Uttarakhand

dt- 09/09/13